

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

स०-४/आ० वि० (संघा०)-०१-०३/२०१७- 128

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार (भा० प्र० से०)
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
भभुआ।

पटना, दिनांक- 20.02.18

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति +2 आवासीय उच्च विद्यालय, कोल्हुआ एवं मसानी कैमूर के संधारणार्थ वेतनादि मद में ₹21,90,800/- (इक्कीस लाख नब्बे हजार आठ सौ रुपये) मात्र की राशि का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आवंटनादेश संख्या-19 दिनांक-06.06.2017 द्वारा अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 15 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ वेतनादि मदों में राशि आवंटित की गई थी। जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक-931 दिनांक-25.10.2017 द्वारा मांगी गई अतिरिक्त राशि के आलोक वेतनादि मद में कुल ₹21,90,800/- (इक्कीस लाख नब्बे हजार आठ सौ रुपये) मात्र की अतिरिक्त राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2- कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्यय मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जातियों का कल्याण लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उप शीर्ष-0004-आवासीय विद्यालय, विपत्र कोड संख्या-44-2225022770004 कूट संख्या 01.01-वेतन, 01.03-जीवन यापन भत्ता, 01.04-मकान किराया भत्ता, 01.06-चिकित्सा भत्ता, 01.07-अन्य भत्ता के अंतर्गत विकलनीय है।

3- इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, भभुआ होंगे। संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- वित्त विभाग के पत्र सं०-2561 दिनांक-17-4-98 एवं पत्रांक- एम०-4-05/98-2607/बि(2) दिनांक-20/4/98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5- व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित रूप से निदेशक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण उपलब्ध करायेंगे।

6- सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7- आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,


वीरेन्द्र कुमार
निदेशक।

18

ज्ञापांक:-4/आ0 बि0 (संघा0)- 01-03/2017- 198

पटना, दिनांक -20.02.18

प्रतिलिपि:-(1) महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, भमुआ/ उप कोषागार पदाधिकारी, भमुआ/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी, भमुआ/ उप विकास आयुक्त, भमुआ/ प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमंडल/आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक 20/2/18

विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित नीचे अंकित अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ वेतनादि मदों में राशि का अतिरिक्त आवंटन।

क्र0	विद्यालय का नाम	वेतन	जीवन यापन मत्ता	मकान किराया मत्ता	चिकित्सा मत्ता	अन्य मत्ता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजकीय अनु0 जनजाति +2 अवासीय उच्च विद्यालय, कोल्हुआ (कैमूर)।	600000	700000	350000	80000	15000	1745000
2	राजकीय अनु0 जनजाति +2 अवासीय उच्च विद्यालय, मसानी (कैमूर)।	152000	196000	68000	26800	3000	445800
	कुल-	752000	896000	418000	106800	18000	2190800

(इक्कीस लाख नब्बे हजार आठ सौ रुपये मात्र)

पत्रांक-128 दिनांक-20.02/18 का अनुलग्नक।

निदेशक।